U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tk/kij
ihBklhu vf/kdkjh %ch- ,y- dkBkjh] vkbZ-,-,l

jktLo f}rh; vihy l[;k 148@2018

vihykUV	बनाम	**jLikMUVl**
1. श्रीमती सरोज कंवर पुत्री स्व0 मूलसिंह निवासी– बूसी तहसील पाली पत्नी भगवत सिंह निवासी– उतवण तहसील सिरोही।		1. श्रीमती श्याम कंवर पुत्री मूल सिंह पत्नी लालसिंह निवासी– बुसी तहसील पाली। 2. नाहरसिंह पुत्र मूलसिंह 3. उम्मेदसिंह पुत्र मूलसिंह निवासीगण बुसी तहसील पाली। 4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 6.8.2015 जो जिला कलेक्टर, पाली ने प्रथम राजस्व अपील संख्या 21/2012 अनवान श्यामकंवर बनाम नाहरसिंह में पारित किया।

mifLFkfr%&&

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से अनुपस्थित
2. श्री गुमानसिंह, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या एक ता तीन की ओर से उपस्थित।
3. श्री ओमप्रकाश चोधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से।

fu.kZ;

fnukad 18 Qjojh] 2020

1. अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत द्वितीय राजस्व अपील जिला कलेक्टर, पाली ने प्रथम राजस्व अपील संख्या 21/2012 अनवान श्यामकंवर बनाम नाहरसिंह में पारित में पारित पारित निर्णय दिनांक 6.8.2015 से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया।

3. पत्रावली दिनांक 27.01.2020 को न्यायालय हाजा के समक्ष पेश हुई। अपीलान्ट के अभिभाषक उक्त दिनांक को अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें एवं अपीलान्ट को आवाजे लगवाई गई। परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय लेने हेतु रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित अभिभाषक के द्वारा की गई बहस को सुना गया।

4. अपीलान्ट ने अपनी अपील में यह अंकित किया कि ग्राम बुसी तहसील पाली के खेत खसरा संख्या 68, 194, 461, 460 कुल रकबा 57 बीघा 19 बिस्वा भूमि मृतक मूलसिंह पुत्र भोपालसिंह की थी। खातेदार के फौत हो जाने पर फौतेदगी नामा0 संख्या 651 में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम ही दर्ज किया गया जबकि अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या 2 भी उनकी जीवित पुत्रियॉ थी जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की अनूसूचित 8 के तहत विधिक वारिस थी, जिनका नाम भी उनके फौतेदगी नामा0 में रेस्पो0 संख्या 3 व 4 साथ दर्ज होना चाहिये था।

5. इस प्रकार खातेदार मूलसिंह के देहान्त उपरान्त उनके सभी वारिसान के नाम फौतगी नामा0 में दर्ज नहीं होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की जिस पर अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अपील दिनांक 6.8.2015 के द्वारा यह कहते हुए अस्वीकार कर दी कि अपीलान्ट श्यामकंवर ने स्वयं को निवासी– अमरकोट (पाकिस्तान) होने का अंकित किया जिन्हें उक्त अपील पेश करने का कानूनन कोई अधिकारी होने से यह अपील पोषनीय नहीं है। अतः खारिज की जाती है। जिसे नियमों के तहत न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

6. अपीलान्ट ने यह अंकित किया कि प्रथम अपीलीय द्वारा अपने आदेश में श्यामकंवर के बारे में जो तथ्य अंकित किये है वे सही नहीं है क्योंकि श्यामकंवर के पाकिस्तानी नागरिकता के सम्बन्ध में कोई प्रमाण रेकर्ड पर नहीं है। श्यामकंवर ग्राम बुसी में रहती है, शादी जरूर अमरकोट में हुई है लेकिन पति का देहान्त होने के पश्चात वह अपने पिता के ग्राम में रहती है। ऐसे में अपीलान्ट को अपने पिता की

सम्पति में जो कानूनन इनहेरेन्ट प्राप्त है उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायाल को प्रकरण तहसीलदार को जॉच हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिये था जो नहीं कर अपीलान्ट की अपील को खारिज कर दिया। अपीलान्ट सरोजकंवर गांव उतवण जिला सिरोही की ही निवासी है उसे भी अपने पिता की सम्पति के हक–अधिकारों से वंचित कर दिया है। अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे तथा जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.8.2015 एवं नामा0 संख्या 651 पर पारित अपीलाधीन आदेश को भी निरस्त किया जावें

7. दौरान सुनवाई रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता तीन की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि उनके द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष यह उल्लेखित किया कि रेस्पो0 संख्या एक श्यामकंवर (प्रथम अपील में अपीलान्ट संख्या 1) वर्तमान में अमरकोट, पाकिस्तान में निवास करती है जो भारत से बाहर की नागरिक है जिन्हें उक्त अपील पेश करने का भारतीय कानून के तहत कोई अधिकार नहीं हैं, भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक इस प्रकार की न्यायिक कार्यवाही कर सकता है, अन्य देश की नागरिकता वाले व्यक्ति नहीं। श्रीमान जिला कलेक्टर पाली के द्वारा इन्हीं तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की प्रथम अपील को अस्वीकार किया जो उचित है। जिसे बहाल रखा जावें।

8. रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता तीन के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि उक्त खसरान की भूमि के सम्बन्ध में सिलिंग न्यायालय में वाद पेश होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में आदेश हुआ था और उस आदेश में श्याम कंवर/सरोजकंवर न तो पक्षकार थी और न ही उस आदेश की श्यामकंवर/सरोजकंवर ने कोई अपील की है। उक्त सिलिंग प्रकरण के निर्णित होने के बाद उक्त खातेदारी रेवेन्यू बोर्ड के आदेश से रेस्पो0 संख्या प्राप्त हुई है। इस कारण से भी विधि अनुसार उक्त नामा0 अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज करने योग्य है। अपीलाधीन नामा0 में मूल खातेदार मूलसिंह के देहान्त पश्चात रेस्पो0 संख्या 2 व 3 यानि उनके पुत्रों के नाम फौतेदगी नामा0 में दर्ज करते हुए तहसीलदार पाली के द्वारा स्वीकृत किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

9. हमने पक्षकारान के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विद्वान जिला कलेक्टर पाली ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील को पोषनीय होने के आधार पर अस्वीकार की है। हमारे द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृति के सम्बन्ध में राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 133 का अवलोकन किया जो इस प्रकार से हैः––

उत्तराधिकार तथा कब्जे के अन्तरण की सूचना

1. किसी सम्पति या अन्य अधिकार या किसी भूमि में हित या उसके लाभ का जो किस इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा वार्षिक रजिस्टरों में दर्ज किया जाना अपेक्षित है, उत्तराधिकार, अन्तरण या अन्य प्रकार से, 'कब्जा पाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस तथ्य की सूचना गांव के पटवारी को देगा आर उस तहसील के, जिसमें ऐसी भूमि स्थित है तहसीलदार को या तो सीधे या गांव के पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा, उस तारीख से जब कि वह ऐसा कब्जा प्राप्त करता है, तीन महिनों के अन्दर सूचना देगा।
2. यदि ऐसा व्यक्ति अव्यस्क हो या अन्यथा अयोग्य हो तो उनका संरक्षक अथवा अन्य व्यक्ति जिसके पास ऐसे व्यक्ति की सम्पति का प्रभार हो, ऐसी सूचना देगा।

10. इस प्रकार धारा 133 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार मूल सिह पुत्र भोपालसिंह के फौत हो जाने पर रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के द्वारा अपने को खातेदार मूल सिंह का विधिक उत्तराधिकारी होने तथा उनके वारिसान के रूप में नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार पाली के समक्ष उक्त तथ्य मौखिक रूप से ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार पाली के द्वारा धारा 133 के अनुसार अपीलाधीन नामा0 संख्या 621 तत्समय में स्वीकृत किया गया है क्योकि फौतगी नामा0 दर्ज करवाने हेतु उनके समक्ष रेस्पो0 संख्या 2 व 3 ही उत्तराधिकारी के रूप में होने बाबत तथ्य सामने लाये गये थे। अधिनस्थ कार्यालय के रेकर्ड से यह भी प्रकट नहीं होता है कि अपीलार्थीया के द्वारा नामा0 स्वीकृति के पूर्व तथा नामा0 कार्यवाही के दौरान अपनी ओर से ऐसा कोई तथ्य और साक्ष्य यानि वे मृतक खातेदार मूल सिंह की जायन्दा पुत्रियॉ है और उनका नाम फौतेदगी नामा0 के दर्ज किया जावे, तहसीलदार के समक्ष पेश नहीं किया है। ऐसे में तहसीलदार के समक्ष फौतगी नामा0 दर्ज किये जाने हेतु जो मौखिक तथ्य साक्ष्य सामने लाये गये थे उसी अनुसार

तहसीलदार के द्वारा तथाकथित जॉच करने के उपरान्त अपीलाधीन नामा0 स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन नामा0 को स्वीकृत किये जाने में तहसीलदर के द्वारा किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

11. अपीलार्थीया के द्वारा इस नामान्तरकरण कार्यवाही के जरिये अपने को मृतक खातेदार का विधिक वारिसान दर्शाते हुए वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकार सम्बन्धी अनुतोष चाहा गया है। जिस पर हमारे द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के सम्बन्ध में राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 का भी अवलोकन किया जो इस प्रकार से हैः——

88- Suits for declaration of right—

(1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.

(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.

(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.

(4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.

12. राज0 काश्तकारी अधिनियम की उक्त धारा में यह स्पष्ट प्रावधान किये हुए है कि dkbZ Hkh 0;fDr जो काश्तकार होने का दावा करता है तो वह धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय के समक्ष नियमित वाद दायर करते हुए वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है। ऐसे में अपीलार्थीया को चाहिये था कि वे अपने हक–हकूकों को प्राप्त करने हेतु नियमानुसार सक्षम न्यायालय के समक्ष नियमित वाद प्रस्तुत करते हुए वांछित अनुतोष प्राप्त करती जिससे उनके हक–अधिकारों को स्पष्ट निर्धारण हो पाता। नामान्तरकरण प्रक्रिया मात्र राजस्व रेकर्ड के अपडेशन सम्बन्धी कार्यो हेतु अपनाई जाती है। नामान्तकरण अपील के जरिये किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर गहनतापूर्वक मनन करने के उपरान्त हमारी विनम्र राय है कि जिला कलेक्टर पाली द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो विधि

अनुरूप एवं उचित है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होगा।

13. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर पाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.8.2015 एवं नामा0 संख्या 651 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 18 फरवरी, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼ch0,y0 dkBkjh½
fMoh tuy dfe'uj]
tks/kiqj